वित्त निर्देश 17/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक/133/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर दिनांक 23.04.2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल , बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- पेंशन प्रकरणों का निराकरण ।

संदर्भः- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 156/23/वित्त/नि./चार/2002 दिनांक 18.03.2002 क्रमांक 508/163/2003/स्था./चार दिनांक 08.04.2003 क्रमांक 250/250/वित्त/नियम/चार/2007 दिनांक 21.08.2007 तथा वित्त निर्देश क्रमांक 115/159/वित्त नियम/चार/2008 दिनांक 17.5.2008

———

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय -समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, लेकिन उक्त निर्देशों के बावजूद पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित गति नहीं आ पायी है । उक्त सभी निर्देशों में मुख्यतः निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैः-

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 57 -58 के अनुसार अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों में सेवानिवृत्त की तिथि से 24 माह पूर्व उनके पेंशन प्रकरणों पर तैयारी प्रारंभ कर दी जाये तथा सेवानिवृत्ति तिथि के 12 माह पूर्व पेंशन प्रकरण को संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेज दिया जाये । पेंशन प्रकरणों की तैयारी का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख का है । पेंशन नियम के नियम 74 के प्रावधान अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को पेंशन देय होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पेंशन एवं ग्रेज्युटी भुगतान आदेश जारी किया जा सकता है । यह तभी संभव है जब कार्यालय प्रमुख पेंशन प्रकरणों की तैयारी का कार्य नियमों में निर्धारित समय-सीमा में करें, तथा यथासमय प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित कर दें ताकि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति तिथि पर ही उसे पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जा सके ।
2. दिनांक 01 जून 1995 से पेंशन प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप पेंशन प्रकरणों के निराकरण के अलावा जन्मतिथि की मान्यता, द्वितीय सेवा पुस्तिका की मान्यता,वेतन निर्धारण के लिए विकल्प परिवर्तन की मान्यता के अधिकार, संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रत्यायोजित किये गये है,

ताकि इन कठिनाईयों के समाधान हेतु प्रकरण शासन स्तर पर संदर्भित करने की आवश्यकता न रहे ।

3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित किये गये सिटीजन चार्टर अनुसार ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे ।

4. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख हर वर्ष जून माह में स्वयं के वेतन देयक के साथ यह प्रमाण पत्र संलग्न कर कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें कि उनकी स्थापना में 31 मार्च की स्थिति में निम्नांकित प्रकरणों को छोड़कर और कोई प्रकरण लंबित नहीं है:-

(अ) न्यायालयीन प्रकरण ।

(ब) विभागीय जांच प्रकरण ।

(स) ऐसे प्रकरण जिसमें पेंशनर द्वारा स्वयं आवश्यक कागजात पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही है ।

(द) ऐसे प्रकरण, जिसमें किसी बिन्दु पर सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय अथवा वित्त विभाग को भेजा गया है । कार्यालय प्रमुख द्वारा जून माह के वेतन देयक से साथ प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र की सत्यता का जांच करने का अधिकार आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ को होगा ।

5. जिलाध्यक्ष द्वारा माह में एक बार समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी तथा प्रकरणों के अंतिम निराकरण हेतु कार्यालय प्रमुख को दिशा निर्देश दिया जावेगा । इस बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन अथवा उनका प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा । इस बैठक में विगत माहों के लंबित पेशन प्रकरणों तथा नवीन माह के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी । बैठक का प्रतिवेदन आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जावेगा । शासन स्तर पर प्रत्येक तिमाही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में इन प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी ।

6. पेंशन प्रकरणों के निराकरण न होने का एक मुख्य कारण यह है कि शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच सेवनिवृत्ति तारीख तक कार्यालय प्रमुख स्तर पर लंबित रहता है । सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रकरण प्रेषित किये जाने के बाद वेतन निर्धारण की जांच करने पर यदि अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होती है तो शासकीय सेवक के प्रथम भुगतान में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

अत: समस्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच समय-समय पर होने वाले वेतनमानों के पुनरीक्षण के आधार पर करा लिया जाना सुनिश्चित किया जावे । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अधिवार्षिकी आयु के 02 वर्ष पूर्व सभी वेतन निर्धारणों की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय से अनिवार्य रूप से करवा ली गयी है तथा उक्त कार्यालय द्वारा दी गयी टीप अनुसार कार्यवाही कर ली गयी है । यदि वेतन निर्धारण के अनुमोदन में अधिक भुगतान की वसूली निर्मित होती है तो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 115/159/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 17.05.2008 द्वारा जारी किये गये निर्देश

तथा छ0 ग0 सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 65 के अनुसार कार्यवाही किया जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य शासन की यह मंशा है कि सभी कार्यालय प्रमुखों तथा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा यह प्रयास किया जावे कि सेवानिवृत्ति तिथि पर ही शासकीय सेवकों को पेंशन भुगतान आदेश प्रदाय किया जा सके । यह तभी संभव है जब उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उक्तानुसार कार्यवाही का पालन न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावें ।

अतः सभी विभाग प्रमुखों से निवेदन है कि पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक/134/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर दिनांक 23.04.2012

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravi Verma

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग